



2026:AHC:172475

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 8360 वर्ष 2026

विकास @ विकास कटारिया

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : किरण रानी, लालू यादव

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. आवेदक की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 0269 वर्ष 2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 115(2), 352 भारतीय न्याय संहिता, थाना- अमरोहा नगर, जिला अमरोहा में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है, जिसमें आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है क्योंकि आवेदक को उपरोक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी का डर है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। जिस समय आवेदक को घटना में शामिल बताया जा रहा है, उस समय वह वास्तव में पुस्तकालय में अध्ययन कर रहा था और यह तथ्य संबंधित पुस्तकालय के सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है।
4. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि घायल को कोई ऐसी चोट नहीं लगी है जिसे गंभीर और जानलेवा माना जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में एक दिन की देरी हुई है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक अभिलेख नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है और तर्क दिया है कि प्राथमिकी में आवेदक का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। आवेदक द्वारा संदर्भित सीसीटीवी फुटेज विवेचना अधिकारी को उपलब्ध कराया गया था और विवेचना अधिकारी ने 30.07.2026 को विवेचना के दौरान इसकी विवेचना की थी। हालांकि, सीसीटीवी फुटेज नहीं चल सका और सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने के लिए पुलिस ने डीवीआर जब्त कर लिया है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य का खंडन नहीं कर पाए हैं कि घायल को कोई ऐसी चोट नहीं लगी है जिसे जानलेवा माना जा सके।

7. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।

8. चिकित्सा परीक्षण सूचना में, चोट संख्या 1 को छोड़कर, सभी चोटें मामूली पाई गईं और अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि एक्स-रे में चोट संख्या 1 के नीचे कोई फ्रैक्चर दिखाई दिया हो। एक्स-रे सूचना में कहा गया है कि कोई स्पष्ट हड्डी का फ्रैक्चर नहीं देखा गया। आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है।

9. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अग्रिम जमानत देने के लिए प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है।

10. उपरोक्त के मद्देनजर, आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

11. आवेदक विकास उर्फ विकास कटारिया की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत पर वर्तमान रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित थाना/न्यायालय के थाना प्रभारी की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि का व्यक्तिगत बांड और जमानती प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं देगा;

12. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें प्रकरण की खूबियों पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

14 अगस्त, 2026

एस.ए.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।